जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांकःएफ/डी.सी.डी.सी./2015/2032

दिनांकः 06-06-2015

सूचना

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल अधिसूचना दिनांक 17.09.2014 के सन्दर्भ में चिकित्सा एंव दंत चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2014-15 से एंव नर्सिग आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक योग, नैचरोपेथी सिद्ध, सह चिकित्सा विषयों के महाविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2015-16 से म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में स्थानांतरण हो गये है।

उपरोक्त शैक्षणिक सत्र से पूर्व प्रवेश प्राप्त समस्त स्नातक एंव स्नातकोत्तर छात्र पूर्ववर्ती जीवाजी विश्वविद्यालय से यथावत संबद्ध रहेंगे।

अतः चिकित्सा संकाय के समस्त नवीन महाविद्यालयों एंव नवीन पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता हेतु संस्थायें म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में आवेदन करेंगे।

अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

Please put up. सम्बद्धता से पाठ्यक्रम

1726
07/11/14

80

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 17 09, 2014

क्रमांक एफ-4-55/2014/55-2 :: मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, तारीख 25/09/2014 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करती है, जिसको कि उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित महाविद्यालय/विद्यालय या संस्था, विश्वविद्यालय के संशोधित परिनियम क्रमांक 26 में विहित की गई निम्नलिखित रीति में विश्वविद्यालय से सहयुक्त और विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त समझे जाएंगे, अर्थात्:-

(1) विद्यमान चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय, शैक्षणिक सत्र 2014-15 से विश्वविद्यालय से सहयुक्त हो जाएंगे तथा उक्त शैक्षणिक सत्र में चिकित्सा और दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने वाले पूर्वस्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों का बैच, विश्वविद्यालय से संबंधित उपरोक्त वर्णित संकायों का प्रथम बैच होगा;

(2) विद्यमान नर्सिंग, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, योग, नैचुरोपेथी, सिद्ध, सह-चिकित्सा और अन्य सहबद्ध विषयों के महाविद्यालय/विद्यालय/संस्था, विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2015-16 से सहयुक्त हो जाएंगे तथा उक्त शैक्षणिक सत्र में उपरोक्त संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने वाले पूर्व-स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों का बैच, विश्वविद्यालय से संबंधित उपरोक्त वर्णित संकायों का प्रथम बैच होगा;

(3) उपरोक्त (1) तथा (2) में वर्णित बैचेस से पूर्व प्रवेश प्राप्त समस्त पूर्व-स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र पूर्ववर्ती विश्वविद्यालयों से यथावत संबंद्ध रहेंगे।

(4) विद्यमान महाविद्यालय/संस्थान, संबद्धता के लिए विश्वविद्यालय को आवेदन करेंगे और विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार हेतु विश्वविद्यालय द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान अनिवार्य रूप से करेंगे।

निरंतर 2

(5) भविष्य में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) की धारा 6 की उपधारा (2) में वर्णित विषयों के समस्त नवीन महाविद्यालय तथा संस्थान अथवा नवीन पाठ्यक्रमों की संबद्धता हेतु मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर को अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश और विनियमों में वर्णित रीति के अनुसार आवेदन करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस.एस. कुमरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

पृ. क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि. /2014/1422A जबलपुर दिनांक 18/9/2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषितः

1. कुलसचिव, बरकउल्ला वि.वि. भोपाल/जीवाजी वि.वि. ग्वालियर/रानी दुर्गावती वि.वि. जबलपुर/डॉक्टर हरीसिंह गौर वि.वि. सागर/अवधेश प्रताप सिंह वि.वि. रीवा/देवी अहिल्या वि.वि. इंदौर/विक्रम वि.वि. उज्जैन।
2. म.प्र. के समस्त अधिष्ठाता/प्राचार्य, चिकित्सा /दंत चिकित्सा /नर्सिंग/आयुर्वेदिक/यूनानी /होम्योपैथिक/योग/नैचुरोपेथी/सिद्ध/पैरामेडिकल महाविद्यालय म.प्र.।
3. राज्यपाल के उप सचिव मध्यप्रदेश।
4. उपसचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल।
6. वित्त नियंत्रक, म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर
7. कुलपति/कुलसचिव कार्यालय, म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर।
8. विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण।
9. उप कुलसचिव, (अका.) उक्त अधिसूचना को वि.वि. की बेवसाइड **www.mpmsu.edu.in** पर अपलोड करायें।

कुलसचिव
म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
जबलपुर

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./अका./2014/1495 जबलपुर दिनांक 22/10/2014

प्रति,

(1) कुलसचिव, बरकउल्ला वि.वि. भोपाल/जीवाजी वि.वि. ग्वालियर/रानी दुर्गावती वि. वि. जबलपुर/डॉक्टर हरीसिंह गौर वि.वि. सागर/अवधेश प्रताप सिंह वि.वि. रीवा/देवी अहिल्या वि.वि. इंदौर/विक्रम वि.वि. उज्जैन।

(2) अधिष्ठाता/प्राचार्य, समस्त चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.

विषयः– म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क. एफ–4–55/2014/55–2 भोपाल दिनांक 17/09/2014 द्वारा म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की धारा 6 की उपधारा (2) के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना बावद्।

उपरोक्त विषयानुसार म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की धारा 6 की उपधारा (2) के तहत म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र कमांक एफ–4–55/2014/55–2 भोपाल दिनांक 17/09/2014 द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना की प्रति विश्वविद्यालय के पत्र कमांक/म.प्र.आ.वि.वि./2014/1422 ए जबलपुर दिनांक 18.09.14. द्वारा आपको प्रेषित की गई है। **(प्रति पुनः संलग्न है)**

म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की धारा 6 की उपधारा (2) निम्नानुसार है,

6 (2) " तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे महाविद्यालय या विद्यालय या संस्था के संबंध में जो चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योग, नचुरोपैथी, सिद्ध, सह–चिकित्सा और अन्य सहबद्ध विषयों में शिक्षा दे रहा है और उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्र की सीमाओं में स्थित है, यह समझा जाएगा कि वह ऐसी तारीख से, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, विश्वविद्यालय से सहयुक्त है और उसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार मिल गए हैं और वह **परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित की गई रीति में अन्य विश्वविद्यालय या बोर्ड से सहयुक्त नहीं रह जाएगा"** ।

राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की धारा 6 (2) की सत्यापित प्रति भी सूचनार्थ संलग्न प्रेषित है।

कुलसचिव
म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
जबलपुर

पृ. कमांक/म.प्र.आ.वि.वि./अका./2014/ जबलपुर दिनांक /10/2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषितः

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल।
3. कुलपति/कुलसचिव कार्यालय, म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ।

उप कुलसचिव (अका.)
म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
जबलपुर

(तीस) न्यासों तथा विन्यासों (एंडाउमेंट्स) को धारण करना और उनका प्रबंध करना तथा अध्येतावृत्तियां (फेलोशिप्स), छात्रवृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां (एकजीविशन्स), वजीफा (बर्सरीज), पदक एवं अन्य पुरस्कार संस्थित तथा प्रदान करना;

(इकतीस) संदान तथा अनुदान प्राप्त करना और निधियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विनिहित करना;

(बत्तीस) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की संपत्ति पर, प्रतिभूति पर धन उधार लेना;

(तैंतीस) जहां कहीं चुने गए अभ्यर्थियों की सूची व्यापम द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है वहां विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधी मापदण्ड, जिनके अंतर्गत परीक्षा मूल्यांकन या जांच की कोई अन्य पद्धति आती है अवधारित करना;

(चौंतीस) महिला विद्यार्थियों के संबंध में ऐसे विशेष इंतजाम करना जिन्हें कि विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(पैंतीस) कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए इंतजाम करना;

(छत्तीस) समस्त ऐसे कार्य तथा बातें, चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषंगिक हों या न हों, जो विश्वविद्यालय के उद्देशों को आगे बढ़ाने के लिए अपेक्षित हैं, करना.

६. (१) विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा. अधिकारिता.

(२) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे महाविद्यालय या विद्यालय या संस्था के संबंध में जो चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, नर्सिंग, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, योग, नेचुरोपैथी, सिद्ध, सह-चिकित्सा और अन्य सहबद्ध विषयों में शिक्षा दे रहा है और उपधारा (१) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्र की सीमाओं में स्थित है, यह समझा जाएगा कि वह ऐसी तारीख से, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, विश्वविद्यालय से सहयुक्त है और उसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार मिल गए हैं और वह परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित की गई रीति में अन्य विश्वविद्यालय या बोर्ड से सहयुक्त नहीं रह जाएगा.

(३) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात,—

(क) ऐसे महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं को लागू नहीं होगी जिन्हें यथास्थिति, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय परिषद् या सह-चिकित्सा परिषद् द्वारा और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो;

(ख) चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, नर्सिंग, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, सह-चिकित्सा, योग, नेचुरोपैथी, सिद्ध या सहबद्ध विषयों के अध्यापन में लगे हुए किसी विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग को लागू नहीं होगी;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा संधारित या संबद्ध महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं को लागू नहीं होगी.

(४) ऐसे महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हैं, किए जा रहे गवेषणा और विकास संबंधी कार्यों को विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों में ऐसी तारीख या तारीखों से समन्वित और एकीकृत किया जाएगा जो कि विश्वविद्यालय और संबंधित महाविद्यालयों या विद्यालयों या संस्थाओं द्वारा पारस्परिक सहमति से नियत की जाएं.